तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र हरजीराम, 11, रामदेव रोड़ पाली

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर

प्रथम सूचना अपील संख्या :–71 / 2024

जीसीएमएस नं. :– 2024 / 134

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

–: निर्णय :–

09.09.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीथर्ली स्वयं उपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 18.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने जरिये पत्रांक / आर.टी.आई. / 2024 / 745 दिनांक 05.09.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 301 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी स्वयं कार्यदिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज, प्रतिलिपि शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यदिवस में, कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों का प्रतिलिपि शुल्क अदा कर वांछित सूचना प्राप्त कर लेवे।
6. निर्णय आज दिनांक **09.09.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner